



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 943/2026

कृष्ण

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता	:	सुधीर भारती
प्रतिवादी अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुधीर भारती और राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को भी देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 0001/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 238, 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन - बिनौली, जिला - बागपत के तहत, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को सिर्फ शक के आधार पर और सिर्फ इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह मृतक का पहले का पति था, और उसके खिलाफ कोई पक्का या भरोसेमंद सबूत नहीं है जो उसे इस जुर्म से जोड़ता हो।
5. अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक की शादी आवेदक से हुई थी, जो सोनीपत, हरियाणा में रहता है। हालांकि, अगर कोई जुर्म हुआ है, तो वह मृतक के परिवार वालों ने किया होगा। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"सम्मान के नाम पर की गई हत्या" का मामला है और आवेदक का इस जुर्म से कोई लेना-देना नहीं है। यह भी कहा गया है कि मृतक का नीरज नाम के एक आदमी के साथ गहरा रिश्ता था और वह उसके साथ रहने पर अड़ी हुई थी।

6. अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 3.1.2025 से जेल में बंद है, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

7. इसके उलट, राज्य विधि अधिकारी ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों और इस बात पर भी सवाल नहीं उठा पाए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलों, जुर्म की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस बात पर भी गौर करते हुए कि आवेदक के खिलाफ कोई ठोस या सीधा सबूत नहीं मिला है, पहली नज़र में मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का यह सही मामला लगता है। जमानत अर्जी **मंजूर** की जाती है।

9. आवेदक- **कृष्ण**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 जनवरी, 2026

सिद्धांत

Translated version. Not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।